

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: बंशीधर योगी, R.T.S.
मिसल नं. :::: 34 / 2020

सरकार बनाम बाबूलाल पुत्र महानन्द, जाति-माली,
निवासी- वार्ड नं. 18, सूरजगढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 30.07.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बाबूलाल पुत्र महानन्द, जाति-माली, निवासी-वार्ड नं. 18 सूरजगढ़ ने रोही मौजा सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 499 रकबा 1.04 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0050 है० पर तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपने अतिक्रमण को अस्वीकार किया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 17 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार